

## कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़

पता- नई कंपोजिट बिस्डिंग कलेक्टर परिसर बिलासपुर (छ.ग.) दूरभाष -07752-443689 **\$क्स - 07752-443689** ई-भेल - cgtownplan.bilaspur@gmail.com



Add.-New Composit Building Collector Parisar Bilaspur (C.G.) Tel-07752-443689 Fax - 07752-443689 E-Mail- cgtownplan.bilaspur@gmail.com

//शुद्धि पत्र// / प्र.क्र. 57 / सी.जी. आ. 00070 / न.ग्रा.नि / 2023 प्रति.

बिलासपुर, दिनांक 12/12/2023

बी.डी.ए. ग्रूप द्वारा भागीदार श्री देवेन्द्र कांत साह पिता श्री बुजेश साहू एवं अन्य निवासी गीतांजली विहार फेस-2, बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :-

स्वीकृत विकास अनुज्ञा पत्र में शुद्धि पत्र बाबत।

1-इस कार्यालय का अनंतिम विकास अनुज्ञा पत्र क्रमांक 7704, दिनांक 26.10.2023 संदर्भ :-

2-आपका आवेदन पत्र दिनांक 11.12.2023

उपरोक्त विषय के संदर्भ में लेख है कि ग्राम खमतराई, प.ह.नं. 25, तहसील व जिला-बिलासपुर (छ०ग०) स्थित भूमि खसरा क्रमांक 15009 (738/2, 738/4, 738/5, 738/6, 739, 740, 741/2, 741/3, 742/13, 742/14, 742/17, 743/1, 743/2, 743/3, 743/4, 743/5, 743/6, 743 / 7, 743 / 8, 746 / 2, 970 / 5, 970 / 12), कुल रकबा 3.7410 हे0 भूमि पर आवासीय कॉलोनी प्रयोजन हेतु धारा 30(3) के तहत संदर्भित पत्र क्र. 01 द्वारा अनंतिम विकास अनुज्ञा प्रदान किया गया था, जिसके स्वीकृति पत्र में त्रुटिवश बी.डी.ए. ग्रुप द्वारा भागीदार श्री देवेन्द्र कांत साहू पिता श्री बृजेश् साहू टंकण हो गया है, के स्थान पर राजस्व अभिलेख अनुसार बी.डी.ए. ग्रुप द्वारा भागीदार श्री देवेन्द्र कांत सूह र्पिता श्री बृजेश साहू एवं अन्य पढ़ा जावें। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

संयुक्तं <sup>प्</sup>संचालक नुन्दि तथा ग्राम निवेश बिलासपुर (छ०ग०)

पु. क्रमांक / प्रतिलिपि :- / प्र.क. 57 / सी.जी. आ. 00070 / न.ग्रा.नि / 2023

बिलासपुर, दिनांक

 आयुक्त सह—संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर (छ०ग०) की ओर कृपया सूचनार्थ।

 कार्यालय कलेक्टर, जिला बिलासपुर (छ०ग०) की ओर सूचनार्थ। आयुक्त, नगर पालिक निगम, बिलसापुर (छ०ग०) की ओर सूचनार्थ।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ०ग०) की ओर सूचनार्थ।

संयुक्त' संचालक नगर तथा ग्राम निवेश बिलासपुर (छ0ग0)

3



## कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़

पता—, नई कंपोजिट बिल्डिंग कलेक्टर परिसर बिलाशपुर (छ.ग.) दूरभाष –07752-443689 फॅक्स – 07752-443689 ई-मेल - cgtownplan.bilaspur@gmail.com



Add.-New Composit Building Collector Parisar Bilaspur (C.G.) Tel — 07752-443689 Fax – 07752-443689 E-Mail- cgtownplan.bilaspur@gmail.com

क / 7704 /न.ग्रा.नि. / प्र.क. 57 / सी.जी. आ. 00070 / 23 / घारा 29 / 23

बिलासपुर दिनांक 26/10/2023

प्रति,

शि.डी.ए. ग्रुप द्वारा भागीदार श्री देवेन्द्र कांत साहू

पिता श्री बृजेश साहू निवासी गीतांजली विहार फेस-2, बिलासपुर (छ०ग०)

विषय:-

बिलासपुर विकास योजना (पुनर्विलोकन) 2031 के अंतर्गत आवासीय (मूखण्डीय) विकास हेतु अनंतिम विकास

संदर्भ:-

अनुज्ञा । 1—एकल खिड़की के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक 24.07.2023 (प्र.क. CGAWAAS/2023/00070)

2-इस कार्यालय का पत्र क्र. 5509, दिनांक 01.08.2023

3-कार्यालय नगर पालिक निगम, विलासपुर के पत्र क्रमांक 1443 दिनांक 19.10.2023

...000...

उपरोक्त विषयांतर्गत एकल खिड़की के तहत् प्राप्त आवेदन पत्र में यथावर्णित ग्राम खमतराई, प.ह.नं. 25, तहसील व जिला बिलासपुर के खसरा क्रमांक 15009 (738/2, 738/4, 738/5, 738/6, 739, 740, 741/2, 741/3, 742/13, 742/14, 742/17, 743/1, 743/2, 743/3, 743/4, 743/5, 743/6, 743/7, 743/8, 746/2, 970/5, 970/12), कुल रकवा 3.7410 है0, जो कि बिलासपुर विकास योजना (पुनर्विलोकन) 2031 में भू—उपयोग प्रस्तावित आवासीय निर्देष्ट है, में आवासीय प्रयोजन हेतु भूखण्डीय विकास को क्रियान्वित किये जाने हेतु विकास अनुज्ञा छ०ग० नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2017 की धारा 30 की उपधारा (3) एवं छ०ग० भूमि विकास नियम 1984 के नियम 27(1) के अध्यधीन रहते हुए निम्न शर्तों के तहत् प्रदान की जाती है :—

यह अनुज्ञा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के द्वारा अनुज्ञेय भूमि के भूरवामित्व के सत्यापन एवं पुष्टि के आधार पर

दी जा रही है।

2) स्थल पर अभिन्यास अनुसार सीमांकन कराया जाकर सीमांकित अभिन्यास का सत्यापन इस कार्यालय से कराया जाना आवश्यक है।

3) प्रश्नाधीन भूखण्ड तक पहुंच मार्ग पूर्व स्वीकृत अभिन्यास से 12.0 मी. अप्रोच उपलब्ध है। मार्ग संबंधी विवाद की

स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।

भ्यात में आवदक स्वय जिन्नदार होगा। 4) शासकीय भूमि एवं अभिन्यास के बाहर किसी अन्य की निजी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न किया जावे।

किसी भी स्थिति में विकास अनुज्ञा के विरूद्ध कोई विकास/निर्माण न किया जावे।

5) समस्त आंतरिक विकास कार्य जैसे-जल आपूर्ति, मल निकास, सोकिपट, सेप्टिक टैंक, मार्गो का विकास, खुले स्थानों का विकास एवं विद्युतीकरण, नाली का निर्माण इत्यादि का अभिन्यास में दर्शाये अनुसार आवेदक को करना होगा। गंदे जल के उपचार एवं पुनर्चक्रण के बाद ही परिसर के बाहर छोड़ा जावे।

6) छ०ग० नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2017 की धारा 33 के प्रावधानों के तहत् जावक दिनांक से यह अनुझा 03 वर्ष की कालाविध तक प्रवृत्त रहेगी। अनुझा को इस अविध के समाप्ति के पूर्व आवेदन किये जाने पर वर्षानुवर्ष बढ़ाया जा सकेगा किंतु कुल कालाविध जावक दिनांक से किसी भी दशा में 05 वर्ष

से अधिक नहीं होगी।

7) छ०ग० नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्ते) नियम 2013 के नियम 10 के तहत कालोनी विकास की अनुमित जारी करने के पूर्व अधिनियम/नियम एवं शासन आदेशानुसार कमजोर आयवर्ग (E.W.S.) हेतु नगर पालिक निगम, बिलासपुर के पत्र क्र. 1443, दिनांक 19.10.2023 के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

अवन निर्माण अनुङ्गा नगर पालिक निगम बिलासपुर से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

9) छ0ग0 नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वंघन तथा शर्ते) नियम 2013 के नियम 12 के प्रावधानों के तहत कालोनी विकास की अनुमति नगर पालिक निगम, बिलासपुर से प्राप्त करना आवश्यक

10) छुर्गा नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वधन तथा शर्ते) नियम 2013 के

अनुसार कॉलोनी का आंतरिक एवं बाह्य विकास करना आवश्यक होगा।

क्रमशः//2// 169



//2//

11) छ0ग0 नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वन्धन तथा शर्ते) नियम 2013 के उप नियम-2 में उल्लेखित विकास कार्य का सक्षम प्राधिकारी के सत्यापन करने के पश्चात ही बंधक भवनों / भू-खण्डों को मुक्त किया जावे।

12) छ0ग0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 79-क के प्रावधानों के तहत् सड़क एवं खुले क्षेत्र हेतु की जाने वाली कुल

प्रकाश व्यवस्था का 25 प्रतिशत सौर पथ प्रकाश संयंत्र (Solar Light Plant) के द्वारा कराना आवश्यक होगा। 13) छ0ग0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 64 के अनुसार प्रति 100 वर्गमीटर में एक वृक्ष की दर से वृक्षारोपण कराना

14) छ0ग0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 78 (4) के अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग के प्रावधान किया जाना आवश्यक

15) छ०ग० भूमि विकास नियम 1984 के नियम 79-ग के अनुसार हरित मापदण्डों का अनुपालन किया जाना आवश्यक

होगा। 16) छ0ग0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 79-घ के अनुसार हरित रेटिंग प्रणाली और ऊर्जा दक्ष्ता भवनों के लिए

राज्य सरकार के निर्देश का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। शासन के निर्देशानुसार निर्माण कार्य हेतु 25% फ्लाई ऐश ब्रिक्स का प्रयोग किया जावे।

18) छ0ग0 शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्र. एफ 7-41/2021/32, दिनांक 23.12.2021 के तहत कम्यूनिटी ओपन स्पेस को विद्युत लाईनों के नीचे छोड़े जाने वाले बफर जोन भूमि में सम्मिलित किया जावे साथ ही भारतीय विद्युत नियमों एवं उनमें समय-समय पर हुए संशोधन का पालन किया जाना अनिवार्य है।

19) छ०ग० शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग का आदेश कं. एफ 7-28/2016/32, नया रायपुर, दिनांक 27.05.2016 के तहत विद्युत लाईन, विद्युत कनेक्शन करने हेतु भूमिगत विद्युत केबल की स्थापना भारतीय मानक ब्यूरो के प्रावधानों

के अनुसार करना होगा।

20) छ0ग0 शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग का आदेश कं. एफ 7-28/2016/32, नया रायपुर, दिनांक 27.05.2016 के तहत भूखण्ड में किसी भी प्रकार के भवन निर्माण/पुर्ननिर्माण/भवन को गिराने के दौरान पर्यावरण संरक्षण एवं जनसुरक्षा तथा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से प्रदूषण की रोकथाम हेतु निर्माणाधीन भवन के चारों ओर धूल अवरोधक लगाया जाना आवश्यक होगा, जिसमें निम्नलिखित विधियों सम्मिलित होगीं– स्थल की आवश्यकतानुसार क्लोज कर्टेन/बिन्डब्रेकिंग स्ट्रक्चर/बैरियर का प्रयोग, मिट्टी में नमी, वृक्षारोपण आदि।

21) छ०ग० शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, के पत्र कं./197/173/2012/32 रायपुर, दिनांक 25.01.12 के कम में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का ज्ञापन कं. एफ 4-104/सात-1/2011 रायपुर, दिनांक 16.01.2012 के तहत

संबंधित तहसीलदार द्वारा कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा।

22) उक्त अनुज्ञा अतिरिक्त तहसीलदार बिलासपुर के सीमांकन प्रतिवेदन क्रमांक 202307075300004/अ-12/2022-23 दिनांक 05.07.2023 तथा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत प्रश्नाधीन भूमि की स्थिति को बतलाए अनुसार स्थल निरीक्षण के आधार पर दी जा रही है। किसी भी प्रकार की भिन्नता पाए जाने पर आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। इसके लिए इस विभाग की कोई जवाबदारी नहीं होगी तथा विवाद की रिथति में प्रदाय की गई विकास अनुज्ञा स्वमेव निरस्त मानी

23) छ०ग० शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश कं. 2038/1521/2016/32 नया रायपुर, दिनांक 28.05.2019 के तहत संबंधित वास्तुविद्/इंजीनियर/संरचना इंजीनियर/नगर योजनाकार/पर्यवेक्षक के द्वारा गलत संरचना

रूपांकन प्रस्तुत होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

24) स्थल पर रवीकृत मानचित्र की प्रति जन सामान्य के अवलोकनार्थ लगायी जावे। स्थल पर अभिन्यास अनुमोदन संबंधी जानकारी बोर्ड पर भी अंकित करना अनिवार्य होगा।

इसे किसी भी प्रकार का भू-अभिलेख संबंधी प्रमाण पत्र न समझा जावे।

26) अनुमति की शर्तों का उल्लंघन होने अथवा किसी असत्य जानकारी अथवा विवाद की स्थिति में यह अनुमति नियमानुसार प्रतिसंहत की जा सकेगी।

27) समस्त अनापत्तियां एवं निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी / ए.डी.एम. द्वारा अंतिम आदेश जारी

किया जावेगा।

28) छ0ग0 नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2017 की घारा 33(क) के तहत विकास अनुज्ञा के प्रतिसंहरण एवं उपांतरण की शवितयाँ संचालक में निहित है। अतः राज्य शासने आवश्यक समझे तो इस अधिनियम के तहत कार्यवाही कर सकती है तथा उपरोक्त अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन होने अथवा किसी असत्य जानकारी अथवा भूमि स्वामित्व विवाद की स्थित में इस भूमि पर प्रदत्त विकास अनुज्ञा छे भूमि विकास नियम 1984 के नियम 25 के तहत प्रतिसंहत (रिवोक) की जा सकेगी।

संलग्न :-अभिन्यास की प्रति।

सर्युक्त\संचालक नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

क्रमशः//3//

पृ. क्रमांक/ प्रतिलिपि :--

/न.ग्रा.नि./प्र.क. 57/सी.जी. आ. 00070/23/घारा 29/23 बिलासपुर दिनांक

- आयुक्त सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ०ग०) की ओर सूचनार्थ।
- कार्यालय कलेक्टर, जिला बिलासपुर (छ०ग०) की ओर सूचनार्थ।
- आयुक्त नगर पालिक निगम, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ०ग०) की ओर सूचनार्थ। अनुविमागीय अधिकारी (रा.) बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ०ग०) की ओर सूचनार्थ।

संयुक्ते संचालक नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर (छ.ग.)